

संचिका सं०-म०/यो०-23/2025 1571

बिहार सरकार  
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग  
(मत्स्य)

शुद्धि पत्र

विभागीय राज्यादेश सं०-2925, दिनांक-30.06.2025 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजनान्तर्गत ₹ 1364.00 लाख (तेरह करोड़ चौसठ लाख रुपये) राशि की लागत पर "जलकृषि सौरीकरण के तहत बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट अधिष्ठापन की योजना" की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृति राशि के क्रियान्वयन हेतु व्यय हेतु स्वीकृत राशि का 65 प्रतिशत राशि यथा-₹ 886.60 लाख (आठ करोड़ छियासी लाख साठ हजार रुपये मात्र) कोषागार से आहरित कर बी०एल०डी०ए० के पी०एल० खाता में संचित किया गया है तथा शेष राशि पी०एल० खाता में हस्तांतरित करने हेतु वित्त विभाग की सहमति आज की तिथि तक प्राप्त नहीं होने के कारण पी०एल० खाता में हस्तांतरित राशि के अनुसार ही योजना का क्रियान्वयन आवश्यक है।

उपर्युक्त के आलोक में योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि के अनुरूप निर्गत लक्ष्य को बी०एल०डी०ए० के पी०एल० खाता में संचित राशि के अन्तर्गत सीमित रखते हुए, उक्त राज्यादेश में संलग्न अनुलग्नक-IV को "संशोधित अनुलग्नक-IV" से प्रतिस्थापित किया जाता है। राज्यादेश की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी।

2. इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय।

3. प्रस्ताव में सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

**अनु०-यथोक्त।**

(कुमार स्वीन्द्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- म०/यो०-23/2025-1571 /पटना-15, दिनांक-...31.../...03.../2026.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- म०/यो०-23/2025-1571 /पटना-15, दिनांक-...31.../...03.../2026.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- म०/यो०-23/2025- 1571 /पटना-15, दिनांक-...31.../...03.../2026.  
प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- म०/यो०-23/2025- 1571 /पटना-15, दिनांक-...31.../...03.../2026.  
प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/सभी संयुक्त मत्स्य निदेशक/सभी उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- म०/यो०-23/2025- 1571 /पटना-15, दिनांक-...31.../...03.../2026.  
प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित निदेशालय के सभी पदाधिकारियों एवं सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- म०/यो०-23/2025- 1571 /पटना-15, दिनांक-...31.../...03.../2026.  
प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- म०/यो०-23/2025- 1571 /पटना-15, दिनांक-...31.../...03.../2026.  
प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

**संशोधित अनुलग्नक-IV**

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना के तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार के अन्तर्गत "जलकृषि सौरीकरण सहायता योजना" से संबंधित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी।

क्र०	जिला	बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट अधिष्ठापन (सब्सिडी-80 प्रतिशत)			
		इकाई लागत (लाख में)	लक्ष्य		अभ्युक्ति
			मैतिक (संख्या)	वित्तीय (लाख में)	
1	2	3	4	5	6
<b>उत्तर बिहार (बोरिंग-सह-5 एच०पी० सोलर समरसेबुल पम्पसेट अधिष्ठापन)</b>					
1	मुजफ्फरपुर	4.28515	8	27.424960	
2	वैशाली	4.28515	5	17.140600	
3	सीतामढ़ी	4.28515	6	20.568720	
4	शिवहर	4.28515	4	13.712480	
5	पूर्वी चम्पारण	4.28515	8	27.424960	
6	प० चम्पारण	4.28515	8	27.424960	
7	सारण	4.28515	6	20.568720	
8	सीवान	4.28515	5	17.140600	
9	गोपालगंज	4.28515	5	17.140600	
10	सहरसा	4.28515	8	27.424960	
11	सुपौल	4.28515	4	13.712480	
12	मधेपुरा	4.28515	4	13.712480	
13	पूर्णियाँ	4.28515	6	20.568720	
14	अररिया	4.28515	5	17.140600	
15	किशनगंज	4.28515	4	13.712480	
16	कटिहार	4.28515	6	20.568720	
17	खगड़िया	4.28515	5	17.140600	
18	बेगुसराय	4.28515	8	27.424960	
19	दरभंगा	4.28515	8	27.424960	
20	मधुबनी	4.28515	8	27.424960	
21	समस्तीपुर	4.28515	4	13.712480	
<b>दक्षिण बिहार (बोरिंग-सह-7.5 एच०पी० सोलर समरसेबुल पम्पसेट अधिष्ठापन)</b>					
22	पटना	5.42629	8	34.728256	
23	भोजपुर	5.42629	5	21.705160	
24	बक्सर	5.42629	5	21.705160	
25	रोहतास	5.42629	5	21.705160	
26	कैमूर	5.42629	5	21.705160	
27	नालंदा	5.42629	8	34.728256	
28	गया	5.42629	5	21.705160	
29	जहानाबाद	5.42629	5	21.705160	
30	अरवल	5.42629	5	21.705160	
31	औरंगाबाद	5.42629	7	30.387224	
32	नवादा	5.42629	5	21.705160	
33	मुंगेर	5.42629	7	30.387224	
34	लखीसराय	5.42629	5	21.705160	
35	शेखपुरा	5.42629	7	30.387224	
36	जमुई	5.42629	7	30.387224	
37	भागलपुर	5.42629	8	34.728256	
38	बाँका	5.42629	8	34.728256	
	<b>कुल :-</b>		<b>230</b>	<b>884.323360</b>	
			Say,	<b>885.000000</b>	

1571  
31/03/26

सरकार के संयुक्त सचिव

**बिहार सरकार**  
**पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग**

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एव हक०), बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना-15. दिनांक- 30/06/2025.

\*अनौपचारिक  
रूप से  
परामर्शित।

द्वारा :-

\*आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना के तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार के अन्तर्गत "जलकृषि सौरीकरण के तहत बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट अधिष्ठापन की योजना" हेतु कुल ₹ 1364.00 लाख (तेरह करोड़ चौसठ लाख रुपये) राशि की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध निदेशानुसार कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना के तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार के अन्तर्गत "जलकृषि सौरीकरण के तहत बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट अधिष्ठापन की योजना" हेतु कुल ₹1364.00 लाख (तेरह करोड़ चौसठ लाख रुपये) राशि की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक-I, II, III एवं IV के रूप में संलग्न।

- राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप (2023-2028) में तालाब मात्स्यकी विकास प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में चिन्हित है। ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों का कृषि के साथ मत्स्य-पालन आजीविका का एक प्रमुख साधन है। राज्य के अधिकांश कृषक वर्षा आधारित जलस्रोतों पर निर्भर हैं, जो अनिश्चित, असमान एवं अल्पकालिक होती हैं। जल की इस अनियमित उपलब्धता के फलस्वरूप तालाबों में सालो भर मत्स्य पालन करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिस का मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता तथा उनके आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पालन मात्स्यकी में जल की एक निश्चित गहराई/मात्रा का होना अतिआवश्यक है। मत्स्य पालन में प्रत्युक्त जलस्रोत में सबसे प्रचलित भू-जलस्रोत, जलाशय, नदी/धार एवं नहर-प्रणाली आदि प्रमुख है। हमारे बिहार राज्य में भी मछली पालन हेतु भू-जलस्रोत, पानी की उपलब्धता का एक प्रमुख स्रोत है। इन जलस्रोतों से कृषि एवं मत्स्य पालन के लिए जल की उपलब्धता हेतु बोरिंग एवं पम्पसेट का उपयोग प्रचलन में है। परंतु पारंपरिक जीवाश्म (कोयला, पेट्रोल, डीज़ल, प्राकृतिक गैस) ईंधन की सीमित संसाधन एवं निहित कार्बन उत्सर्जन तथा इसके सम्भावित पर्यावरण प्रदूषण के मद्देनजर अक्षय सौर ऊर्जा/नवीकरणीय

ऊर्जा स्रोत पर बल दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में कोई कार्बन डाइऑक्साइड या हानिकारक गैस नहीं निकलत है, फलस्वरूप वायु और जल में प्रदूषण नहीं होता है। उक्त तथ्यों को दृष्टिपथ में रखते हुए तालाबों में सालो भर मत्स्य पालन योग्य जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जलकृषि सौरीकरण के तहत बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट अधिष्ठापन की योजना प्रस्तावित है।

3. इस योजना का मुख्य उद्देश्य पालन मात्स्यिकी (तालाब/पोखर, बायोपलॉक/आर०ए०एस० आदि) पद्धति में बिना प्रदूषण के ऊर्जा दक्ष, पर्यावरण अनुकूल एवं दीर्घकालिक समाधान प्रदान करते हुए मत्स्य पालन हेतु सालोभर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इससे तालाब/पोखर स्थल पर बिजली संसर्ग की सहज उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में भी प्रकृति प्रदत्त अक्षय ऊर्जास्रोत से जल की उपलब्धता हो सकेगी।
4. प्रस्तावित "जलकृषि सौरीकरण के तहत बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट अधिष्ठापन की योजना" के सफल क्रियान्वयन से निम्न लाभ होने की संभावना है-
  - (i). इससे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जहाँ तालाब/पोखर तक बिजली की पहुँच सुलभ नहीं है, वहाँ भी पालन मात्स्यिकी हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भी मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा।
  - (ii). सौर ऊर्जा आधारित पंपसेट से बिजली पर निर्भरता और मत्स्य उत्पादन लागत में कमी आएगी जिससे किसानों की वार्षिक आय में अभिवृद्धि होगी।
  - (iii). मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि होगी।
  - (iv). पारंपरिक ईंधन स्रोत (डीजल) पर निर्भरता तथा प्रदूषण कम होगी जिससे पर्यावरण स्वच्छ एवं शुद्ध हो सकेगा।
  - (v). नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर निर्भरता बढ़ेगी जो प्रदूषण रहित एवं किफायती रख-रखाव के कारण लागत व्यय से आमदनी बढ़ाने में सहायक होगी।
  - (vi). रोजगार के नए अवसर सृजित तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगा।
5. प्रस्तावित जलकृषि सौरीकरण की योजना के तहत 355 बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट अधिष्ठापन किया जायेगा।
6. जलकृषि सौरीकरण के तहत बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट अधिष्ठापन निजी/लीज पर ली गई तालाबों पर बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट अधिष्ठापन-
  - (i) राज्य में तालाब (पोखर) पालन मात्स्यिकी के मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि हेतु जल की निरंतर उपलब्धता/प्रबंधन हेतु मत्स्य कृषकों के निजी/लीज पर ली गई तालाबों पर बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट अधिष्ठापन की योजना प्रस्तावित है।
  - (ii) राज्य में भू-जल स्तर को दृष्टिपथ में रखते हुए इस योजना के तहत उत्तर बिहार के जिलों के लिए अधिकतम 5 एच०पी० एवं दक्षिण बिहार के जिलों के लिए अधिकतम 7.5 एच०पी० क्षमता का सोलर समरसेबुल पम्पसेट के साथ बोरिंग अधिष्ठापन का प्रावधान है।

- (iii) योजना के तहत मत्स्य पालकों के निजी/लीज (न्यूनतम नौ वर्ष) एकरारनामा (1000 रुपये ननजूडीसीयल स्टांप) पर ली गई भूमि पर नवनिर्मित अथवा पूर्व से निर्मित तालाबों में सालों भर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तालाबों के बाँध पर बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट अधिष्ठापित किया जाएगा।
- (iv) प्रति बोरिंग तथा अधिकतम 5 एच०पी० एवं अधिकतम 7.5 एच०पी० क्षमता सोलर समरसेबुल पम्पसेट अधिष्ठापन का औसत इकाई लागत क्रमशः ₹ 428515 रुपये एवं ₹ 542629 रुपये आकलित है। बोरिंग की औसत गहराई अधिकतम दो सौ फीट तक की व्यय की आकलन पर निर्धारित है (विस्तृत विनिर्देश की विवरणी अनुलग्नक-III संलग्न)। आकलित इकाई लागत सांकेतिक है। योजनान्तर्गत इकाई लागत का अंतिम रूप से निर्धारण प्रस्ताव निवेदन (Request for proposal) राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा। प्रस्ताव निवेदन के माध्यम प्राप्त होने वाले न्यूनतम दर के आलोक में उक्त अंकित आकलित इकाई लागत में बढ़ोतरी/घटोत्तरी किया जाएगा।
- (v) योजनान्तर्गत अंतिम रूप से निर्धारित इकाई लागत का 80 प्रतिशत राशि अनुदान (सब्सिडी) के रूप में देय होगा तथा शेष राशि लाभुक के द्वारा स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से स्वयं वहन किया जाएगा।
- (vi) योजनान्तर्गत अंतिम रूप से निर्धारित इकाई लागत से अधिक राशि के व्यय होने पर, अतिरिक्त व्यय राशि का वहन लाभुक के द्वारा स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से स्वयं वहन किया जाएगा।
- (vii) बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट इकाई का अधिष्ठापन हेतु न्यूनतम 0.25 एकड़ जलक्षेत्र का तालाब होना अनिवार्य होगा। अगर पूर्व से आवेदक-लाभुक के तालाब पर बोरिंग पम्पसेट उपलब्ध हो अथवा पूर्व में किसी सरकारी (केन्द्र/राज्य) सदृश्य योजना के तहत ट्यूबवेल-सह-पंपसेट/बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट/सोलर समरसेबुल पम्पसेट का लाभ प्राप्त किये हो तो उन्हें इस योजना का लाभ देय नहीं होगा।
- (viii) बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट, पाईप, आदि सामग्री आई०एस०आई० मार्का का होगा तथा इन सामग्रियों का क्रय लाभुकों के द्वारा योजनान्तर्गत प्रस्ताव निवेदन के माध्यम सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता से स्वयं किया जाएगा। सब्सिडी भुगतान हेतु लाभुकों के द्वारा क्रय किये गये सामग्रियों का पक्का रसीद (जी०एस०टी० सहित) जिला मत्स्य कार्यालय में समर्पित किया जायेगा। पक्का रसीद में आपूर्ति की गई बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट का कम्पनी का नाम, निर्माण की तिथि, सोलरपम्प नम्बर, इंजन नम्बर, आदि उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
- (ix) योजना का लाभ हेतु एक व्यक्ति/परिवार को न्यूनतम 0.25 एकड़ जलक्षेत्र से 2.5 एकड़ जलक्षेत्र तक के तालाब पर अधिकतम एक बोरिंग तथा एक सोलर समरसेबुल पम्पसेट इकाई का अधिष्ठापन का लाभ की अनुमान्यता होगी।

- (x) योजना के तहत बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट इकाई का अधिष्ठापन हेतु अंतिम रूप से निर्धारित इकाई लागत अथवा वास्तविक मूल्य दोनों में से जो भी न्यूनतम होगा, उसी न्यूनतम राशि के आधार पर भौतिक सत्यापन के उपरांत देय सब्सिडी राशि का निर्धारण किया जायेगा तथा शेष राशि लाभुक के द्वारा अंशदान के रूप में वहन किया जायेगा।
- (xi) योजना के तहत लगभग 355 लाभुक लाभान्वित होंगे।
7. इस योजना से सम्बन्धित सामान्य क्रियान्वयन दिशा-निदेश यथा-(क) लाभुकों का चयन, (ख) योजनान्तर्गत आपूर्तिकर्ता का इमपैनेलमेंट (Empanelment) तथा अंतिम रूप से इकाई लागत का निर्धारण (ग) सब्सिडी भुगतान, (घ) योजनान्तर्गत अधिष्ठापित अवयव के बोर्ड पर अंकित की जाने वाली विवरणी एवं (ङ) चयन/अनुदान भुगतान से सम्बन्धित समिति की विवरणी अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है।
  8. योजनान्तर्गत विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक-I संलग्न है।
  9. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि के अनुसार प्रकल्पवार-जिलावार, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी अनुलग्नक-IV संलग्न हैं।
  10. इस योजनान्तर्गत जिलों को आवंटित भौतिक लक्ष्य की उपलब्धि में कतिपय कारणों से कठिनाई परिलक्षित होने की स्थिति में तथा अन्य जिलों के द्वारा भौतिक लक्ष्य की मांग को दृष्टिपथ में रखते हुए आवश्यकतानुसार अंतर-जिला लक्ष्य का स्थानान्तरण निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना के द्वारा किया जा सकेगा।
  11. योजना के कार्यान्वयन एवं राशि निकासी में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव की अनुमति से दिशा निदेश/अनुदेश जारी किया जा सकेगा।
  12. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) तथा निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
  13. इस योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत राशि को कोषागार से आहरित कर बी०एल०डी०ए० के पी०एल० खाता में अंतरित/संचित कर व्यय किया जायेगा।
  14. योजनान्तर्गत स्वीकृति राशि के अनुरूप निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना के द्वारा आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।
  15. इस योजना के तहत व्यय हेतु स्वीकृत राशि का विकलन माँग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405 -मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101 -अंतर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष-0104 -तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड 02-2405001010104 के तहत विषय शीर्ष-0104.33.01 -सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
  16. दिनांक-10.06.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका-6 एस०एस०(6)40/2025 के पृष्ठ 16-15/प०.

17. चूकि यह एक नयी राज्य योजना है। स्कीम का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से अधिक एवं 15.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12888/वि० दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-2(क) में प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका-6 एस०एस०(6)40/2025 के पृष्ठ-13/टि० एवं दिनांक-25.06.2025.
18. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या-6एस०एस०(6)40/2025 के पृष्ठ संख्या-12/टि०, डायरी क्रमांक-301, दिनांक-13.06.2025.
19. वित्त विभागीय पत्रांक-7355, दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

(मीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)40/2025- 2925 /पटना-15, दिनांक-30/06/2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)40/2025- 2925 /पटना-15, दिनांक-30/06/2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)40/2025- 2925 /पटना-15, दिनांक-30/06/2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त मत्स्य निदेशक/सभी उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)40/2025- 2925 /पटना-15, दिनांक-30/06/2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित निदेशालय के सभी पदाधिकारियों एवं सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)40/2025- 2925 /पटना-15, दिनांक-30/06/2025.  
प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
30/6/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)40/2025- 2925 /पटना-15, दिनांक-30/06/2025.  
प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
30/6/25

सरकार के अपर सचिव



अनुलग्नक-1

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना के तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार के अन्तर्गत "जलकृषि सौरीकरण के तहत बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट अधिष्ठापन की योजना" पर होने वाले सम्भावित व्यय का माँग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405 -मछली पालन उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-101-अंतर्देशीय मछली पालन के तहतके तहत व्यय, निकासी एवं व्ययन पदाधिकार आदि की विवरणी -


(राशि लाख में)

क्र०	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	अवयव	भौतिक लक्ष्य (सं०)	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उप शीर्ष-0104 -तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड 02-24050010104	0104.33.01 -सज्जिन्डी	बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट का अधिष्ठापन	355	1364.00	निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (स्ममी)	कोषागार, बिहार (स्ममी)
योग :-				355	1364.00		

कुल (तिरह करोड़ चौसठ लाख रु०) मात्र।

2925  
30/06/25

सरकार के अपर सचिव



## अनुलग्नक-II

### सामान्य क्रियान्वयन निदेश :-

(क) लाभुकों का चयन :-

- (i). मत्स्य निदेशालय के द्वारा राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन/ विभागीय वेबसाईट पर सूचना प्रकाशित कर, विहित प्रपत्र में ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त आवेदन-पत्रों को सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा संधारित किया जायेगा। भौतिक लक्ष्य से कम आवेदन पत्र प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत मत्स्य निदेशालय स्तर से पोर्टल खोलकर पुनः ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों को जाँचोपरांत चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त शेष आवेदन-पत्रों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी जिसका आगामी वित्तीय वर्ष में सदृश्य योजना हेतु प्राथमिकता के तहत मान्य किया जाएगा।
- (ii). योजनान्तर्गत प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों का ससमय डाउनलोडिंग, जाँच एवं चयन कर कार्यादेश निर्गत हेतु यह आवश्यक है कि प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रतिदिन डाउनलोडिंग, साप्ताहिक जाँच तथा कट-ऑफ तिथि (प्रत्येक माह का अंतिम दिन) के पश्चात चयन समिति सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (iii). त्रुटिपूर्ण आवेदनों के त्रुटि सुधार हेतु सम्बन्धित आवेदकों को एक पक्ष का समय दिया जायेगा। तत्पश्चात, पूर्ण रूप से सभी अनुलग्नकों के साथ प्राप्त/समर्पित आवेदन पत्रों को ही चयन हेतु जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा संकलित किया जायेगा। आवेदक द्वारा बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट योजना हेतु अपना प्रस्तावित तालाब का फोटोग्राफ (पोस्टकार्ड साइज में) आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। फोटोग्राफ में स्पष्ट लैंड-मार्क/ विभेदक-चिन्ह के साथ हो ताकि निरीक्षण के क्रम में सम्बद्ध योजना हेतु प्रस्तावित तालाब की पहचान सुलभता से किया जा सकें।
- (iv). आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा अपना मोबाईल नं० तथा बैंक शाखा का नाम, बैंक खाता संख्या, आई०एफ०एस०सी० कोड अंकित किया जाएगा। साथ ही, अपना आधार कार्ड नं०/राशन कार्ड नं०/मतदाता पहचान पत्र/मत्स्य पालन तकनीक से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र (यदि प्रशिक्षित हो) की अभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी।
- (v). निजी/लीज पर ली गई तालाब पर बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट अधिष्ठापित किया जा सकेगा। निजी तालाब के मामले में भूमि स्वामित्व से सम्बन्धित भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र/अद्यतन मालगुजारी रसीद तथा लीज की स्थिति में, लीज से सम्बन्धित एकरारनामा (न्यूनतम नौ वर्ष का 1000 रु० ननजूडीसीयल स्टांप में एकरारनामा) आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। नन-जूडीसीयल स्टांप पर एकरारनामा के मामले में भू-स्वामी/स्वामियों से भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र/रसीद आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। साथ ही, आवेदक को इस आशय

का शपथ पत्र (नोटरी) समर्पित करना अनिवार्य होगा कि उनका प्रस्तावित निजी तालाब/पट्टा पर ली गई तालाब विवाद रहित हैं।

- (vi). चयन समिति से पूर्व सभी सम्भावित आवेदकों को मत्स्य कार्यालय में बुलाकार अंतरविक्षा/चर्चा कर उनकी ससमय योजना क्रियान्वयन की मंशा अवश्य ज्ञात कर ली जाय जिससे चयन के उपरांत योजना का क्रियान्वयन ससमय हो सके।
- (vii). लाभुकों का चयन, उप मत्स्य निदेशक (परिक्षेत्र) की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा की जायेगी। बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट अधिष्ठान योजना के तहत लाभुकों का चयन करते समय लाभुक का मत्स्य प्रशिक्षण एवं मत्स्य पालन के क्षेत्र में किये गये कार्य-अनुभव को दृष्टिपथ में रख कर चयन किया जाएगा। स्वलागत से योजना के क्रियान्वयन में इच्छुक लाभार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (viii). योजनान्तर्गत अगर दो या दो से अधिक पूर्ण आवेदन पत्र (वांछित अनुलग्नक सहित) प्राप्त होने की स्थिति में तथा सभी आवेदक आवश्यक आर्हताओं को पूर्ण करते हो, तो ऐसी स्थिति में जिला मत्स्य कार्यालय में विधिवत पहले वांछित त्रुटि-रहित वैध दस्तावेज/कागजात/प्रमाण-पत्र के साथ पूर्ण आवेदन पत्र समर्पित करने वाले आवेदक को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।
- (ख) योजनान्तर्गत आपूर्तिकर्ता का इम्पैनेलमेंट (Empanelment) तथा इकाई लागत का निर्धारण-
- (i). इस योजनान्तर्गत उत्तर बिहार के जिलों के लिए अधिकतम 5 एच0पी0 एवं दक्षिण बिहार के जिलों के लिए अधिकतम 7.5 एच0पी0 क्षमता का सोलर समरसेबुल पम्पसेट के साथ बोरिंग अधिष्ठापन हेतु एजेंसियों का इम्पैनेलमेंट (Empanelment) तथा अंतिम रूप से इकाई लागत का निर्धारण हेतु राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रस्ताव निवेदन (Request for Proposal) विस्तृत तकनीकी विशेषताएँ विनिर्देश के साथ प्रकाशित कर आमंत्रित किया जाएगा। उक्त के आलोक में इच्छुक आपूर्तिकर्ता एजेंसियों से प्राप्त कोटेशनों में से सबसे कम (न्यूनतम) यूनिट लागत जो निर्धारित तकनीकी विशेषताएँ विनिर्देश के अनुरूप होगा को आधार मानकर अंतिम रूप से इकाई लागत का निर्धारण किया जाएगा।
- (ii). उपर्युक्त के आलोक में निर्धारित इकाई लागत (न्यूनतम) के आधार पर इच्छुक बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट आपूर्तिकर्ता एजेंसियों को इसी दर पर आपूर्ति करने हेतु सूचीबद्ध किया जाएगा।
- (iii). सूचीबद्ध/Empanelled एजेंसियों की सूची सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी को संसूचित की जाएगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि मत्स्य निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये Empanelled (सूचीबद्ध) आपूर्तिकर्ता एजेंसियों की सूची विधिवत अपने कार्यालय के सूचना-पट्ट पर ससमय प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे। इन्ही Empanelled (सूचीबद्ध) एजेंसियों की सूची में से योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थी द्वारा बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट का क्रय स्वयं किया जाएगा।

- (iv). इस योजनान्तर्गत उत्तर बिहार के जिलों के लिए अधिकतम 5 एच०पी० एवं दक्षिण बिहार के जिलों के लिए अधिकतम 7.5 एच०पी० क्षमता का सोलर समरसेबुल पम्पसेट के साथ बोरिंग अधिष्ठापन हेतु आकलित औसत इकाई लागत क्रमशः ₹ 428515 रुपये एवं ₹ 542629 रुपये तथा उपर्युक्त Request for Proposal (प्रस्ताव निवेदन) के माध्यम से अंतिम रूप से निर्धारित इकाई लागत में अन्तर होने की स्थिति में सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अपने उप मत्स्य निदेशक (परिक्षेत्र) से अनुमोदनोपरांत योजनान्तर्गत स्वीकृत/आवंटित राशि के अनुरूप बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट की संख्या (भौतिक लक्ष्य) में आवश्यकतानुसार अनुपातिक बदलाव अर्थात्-कम अथवा ज्यादा कर सकेंगे। लेकिन व्यय की राशि इस योजना के तहत व्यय हेतु स्वीकृत राशि के अन्दर ही सीमित रहेगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी इससे सम्बन्धित विस्तृत ब्यौरा ससमय निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) सब्सिडी भुगतान-

- (i). बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट अधिष्ठापन योजना में सब्सिडी की राशि दो बराबर किस्तों में दी जाएगी। स्वलागत/बैंक ऋण से बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट अवयव में बोरिंग के अधिष्ठापन होने पर लाभार्थी के द्वारा कार्यालय में समर्पित दावा पत्र तथा क्षेत्रीय प्रभारी/योजना प्रभारी/कनीय अभियंता के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर योजनान्तर्गत देय कुल अनुदान का पचास प्रतिशत सब्सिडी प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट अवयव में अधिकतम 5 एच०पी० (उत्तर बिहार)/7.5 एच०पी० (दक्षिण बिहार) सोलर समरसेबुल पम्पसेट के अधिष्ठापन होने पर लाभार्थी के द्वारा शेष आवश्यक अभिश्रव/प्रमाणक लाभुक के द्वारा कार्यालय में समर्पित सब्सिडी दावा पत्र (फोटोग्राफ सहित) के आलोक में स्थल जाँचोपरांत प्राप्त प्रतिवेदन, अधिष्ठापित घटक के साथ संयुक्त फोटोग्राफ आदि के समीक्षोपरान्त शेष पचास प्रतिशत देय सब्सिडी राशि का भुगतान की जाएगी।
- (ii). योजनान्तर्गत सब्सिडी राशि का भुगतान उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदनोपरांत जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते में आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी०/डी०बी०टी० के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
- (iii). योजना के तहत लाभुकों के द्वारा सम्बन्धित जिला मत्स्य कार्यालय में इस आशय का शपथ पत्र समर्पित किया जायेगा, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि इस योजनान्तर्गत प्रथम किस्त सब्सिडी की राशि प्राप्त करने के पश्चात् अगर उनके (लाभुक) द्वारा कतिपय कारणों से योजना पूरी नहीं की जाती है तो ऐसी परिस्थिति में लाभुक द्वारा प्राप्त सब्सिडी की राशि वसूलनीय होगी अन्यथा उक्त अनुदान राशि की वसूली हेतु जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा उनके विरुद्ध नीलामपत्रवाद दायर की जाएगी। साथ ही

उन्हे काली सूची में डाला जायेगा एवं उन्हें किसी भी विभागीय योजनाओं का लाभ देय नहीं होगा।

- (घ) बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट अधिष्ठापन वाले तालाब पर पक्का बोर्ड लाभार्थी द्वारा लगाना अनिवार्य होगा। बोर्ड चार फीट खड़ा लोहे के एंगल पर 4 फीट x 3 फीट आकार के लोहे के चादर का होगा जिसपर पेंट से विवरणी अंकित होगा।

बोर्ड पर अंकित विवरणी का प्रारूप निम्न होगा :-

**बिहार सरकार**  
**पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग**  
**मत्स्य निदेशालय, पटना**

योजना का नाम एवं वर्ष-  
योजना अवयव का नाम-  
लाभुक का नाम एवं पता-  
प्राक्कलित/लागत राशि-  
सब्सिडी की राशि-

- (ङ) उपर्युक्त वर्णित योजना हेतु उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र की अध्यक्षता में गठित समिति, लाभुकों के चयन, सब्सिडी राशि का भुगतान हेतु अनुशंसा एवं योजना के कार्यान्वयन में स्थानीय स्तर पर होने वाली कठिनाइयों के निराकरण के लिए मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना को अपना सुझाव समय-समय पर देगी। उक्त समिति में निम्न सदस्य होंगे-

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र                       | - अध्यक्ष    |
| 2. जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी | - सदस्य सचिव |
| 3. मत्स्य प्रसार पदाधिकारी                            | - सदस्य      |
| 4. कनीय अभियंता                                       | - सदस्य      |
| 5. मत्स्य विकास पदाधिकारी                             | - सदस्य      |

उक्त समिति की बैठक प्रत्येक माह अथवा आवश्यकतानुसार की जाएगी तथा न्यूनतम कोरम का पालन किया जाएगा।

2925  
30/06/25

सरकार के अपर सचिव



<b>अनुलग्नक-III</b>		
<b>Specification of Solar Water Pumps installation (as per MNRE norms) along with boring.</b>		
Sl. No	Particulars	Specifications
1.	SPV Module	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A minimum of 5000 Wp/7500 Wp of solar panels to be provided for each 5 HP/7.5 HP pump respectively.</li> <li>• Only Solar PV modules manufactured in India with latest Indian Standards (as notified by BIS) and bear the Standard Mark under a license from the BIS can be used by the bidders.</li> <li>• ONLY Crystalline Silicon modules with minimum efficiency of 18% for Mono Crystalline Silicon modules and 17% for Poly Crystalline Silicon PV Modules; meeting the criteria under Standard Test Conditions, to be used.</li> <li>• Modules must qualify for               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ALMM Certification</li> <li>○ IS/IEC 61730 Part I and II for safety qualification testing.</li> <li>○ IEC TS 62804-1:2015 for the detection of potential-induced degradation- Part 1 : Crystalline silicon (Mandatory in case the SPV array Open Circuit voltage is more than 600 V DC).</li> <li>○ Test certificates to be submitted along with the bid.</li> </ul> </li> <li>• Module manufacturer should be ISO 9001:2015&amp;ISO 14001:2015.</li> <li>• All PV modules must have been tested and certified by a reputed laboratory for long term exposure like NABL accredited lab. Test certificates must be submitted along with bid.</li> <li>• PV Modules must be warranted for output wattage, which should not be less than 90% of the rated wattage at the end of 10 years and 80% of the rated wattage at the end of 25 years.</li> <li>• All equipments should have ISI certification.</li> </ul>
2.	Motor-Pump Set Specifications (For-5 HP and 7.5HP System)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Types of Motor- Pump Set</b></li> <li>• The SPV water pumping system shall employ any of the following types of motor pumps sets, as per site-specific conditions:               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Surface mounted motor-pump set</li> <li>(b) Submersible motor-pump set</li> </ul> </li> <li>• Motor Type The motors used in the system shall be AC Induction Motor</li> <li>• Capacity &amp; Construction               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) The AC centrifugal motor pump set with appropriate mechanical seals which ensures zero leakage.</li> <li>(b) The motor of the capacity of 5HP, 7.5HP. The suction &amp; delivery head will depend on the site-specific condition of the field.</li> <li>(c) Submersible pumps could also be used according to the dynamic head of the site at which the pump is to be used.</li> <li>(d) The pump &amp; all external parts of motor used in submersible pump which are in contact with water should be of stainless steel of grade 304 or higher as required.</li> <li>(e) As per IEC61683, Total Harmonic Distortion (THD) for voltage &amp; current should be less than 3% at the motor terminal over the entire radiation profile and in order to achieve these measures such as use of the choke coil (du/dt filter) etc. can be adopted.</li> </ul> </li> <li>• The suction/delivery pipe shall be of HDPE or uPVC column pipes of appropriate size, electric cables, floating assembly, civil work and other fittings required to install the motor pump set. In case of HDPE pipes the minimum pressure rating of 10kg/sqcm-PE100 grade for 5HP pumps and further higher minimum pressure rating for 7.5HP as appropriate shall be used.</li> </ul>
3.	MOUNTING ARRANGEMENT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Multiple axis tracking</li> <li>• Module mounting structures of adequate strength and appropriate design which can withstand load of modules and high wind velocities up to 150km/hour. The raw material used and process for manufacturing module mounting structure including welding of joints should conform to applicable IS822.</li> <li>• The module mounting structure should be hot dip galvanized according to IS4759. Zinc content in working area of the hot dip galvanizing bath should not be less than 99.5% by mass.</li> </ul>

4.	DESCRIPTION OF WORK	Supply, Installation & Commissioning of appropriate solar PV Modules with all accessories for operating of 5HP & 7.5HP submersible Motor Pump set along with boring.
5.	ELIGIBILITY FOR PARTICIPANTS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The registered company firm having the turn over of 3 Cr. or more in any one years in last 5 years are eligible to quote.</li> <li>• The participating company has an authorized channel partner of Ministry of New and Renewable Energy Department, Govt. of India, New Delhi.</li> <li>• The Company must be ISO/BIS/IEC/MNRE Certified.</li> <li>• The Participants Company must have a Valid Registration/GSTIN.</li> <li>• The Participant Company has a registered office and service centre in Bihar for after sales support. All Participants must provide the details of the offices in Bihar.</li> <li>• The Participants must have an experience in installation of 5HP &amp; 7.5HP Solar Pump. The Participants have also attached copy of supply order for at least in Govt. Department.</li> </ul>
6.	Pump Controller	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The SPV Controller must have <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IP (65) protection or shall be housed in a cabinet having at least IP (65) protection.</li> <li>2. Adequate protections to protect the solar powered pump set against the following: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Dry running;</li> <li>b) Open circuit;</li> <li>c) Output short circuit;</li> <li>d) Under voltage;</li> <li>e) Reverse polarity;</li> </ol> </li> <li>3. DC switch as per IS/IEC60947-1 suitable for switching dc power ON and OFF</li> </ol> </li> <li>• SPV controller should confirm to IEC 61683</li> </ul>
7.	Boring	<ul style="list-style-type: none"> <li>• All boring works required for the installation of solar pump systems.</li> <li>• This includes site assessment, hydro geological survey (if needed), boring to adequate depth to ensure sufficient water yield, casing, development, and sealing. All materials, labour, and equipment for boring shall be arranged by the bidder at their own cost. Works must comply with applicable safety, environmental, and regulatory standards.</li> </ul>
8.	Other Accessories	<ul style="list-style-type: none"> <li>• All the other items should be complied with MNRE/IEC/ISO standards, wherever applicable. Any system that can be used to improve the functionality of the solar pump should be provided separately.</li> </ul>

2925  
30/06/25

सरकार के अपर सचिव




**अनुलग्नक-IV**

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना के तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार के अन्तर्गत "जलकृषि सौरीकरण सहायता योजना" से संबंधित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी।

क्र०	जिला	बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट अधिष्ठापन (सब्सिडी-80 प्रतिशत)			
		इकाई लागत (लाख में)	लक्ष्य		अभ्युक्ति
			भैतिक (संख्या)	वित्तीय (लाख में)	
1	2	3	4	5	6
<b>उत्तर बिहार (बोरिंग-सह-5 एच०पी० सोलर समरसेबुल पम्पसेट अधिष्ठापन)</b>					
1	मुजफ्फरपुर	4.28515	12	41.137440	
2	वैशाली	4.28515	8	27.424960	
3	सीतामढ़ी	4.28515	10	34.281200	
4	शिवहर	4.28515	6	20.568720	
5	पूर्वी चम्पारण	4.28515	12	41.137440	
6	प० चम्पारण	4.28515	12	41.137440	
7	सारण	4.28515	9	30.853080	
8	सीवान	4.28515	8	27.424960	
9	गोपालगंज	4.28515	8	27.424960	
10	सहरसा	4.28515	12	41.137440	
11	सुपौल	4.28515	6	20.568720	
12	मधेपुरा	4.28515	6	20.568720	
13	पूर्णियाँ	4.28515	10	34.281200	
14	अररिया	4.28515	8	27.424960	
15	किशनगंज	4.28515	6	20.568720	
16	कटिहार	4.28515	9	30.853080	
17	खगड़िया	4.28515	8	27.424960	
18	बेगूसराय	4.28515	12	41.137440	
19	दरभंगा	4.28515	12	41.137440	
20	मधुबनी	4.28515	12	41.137440	
21	समस्तीपुर	4.28515	8	27.424960	
<b>दक्षिण बिहार (बोरिंग-सह-7.5 एच०पी० सोलर समरसेबुल पम्पसेट अधिष्ठापन)</b>					
22	पटना	5.42629	12	52.092384	
23	भोजपुर	5.42629	8	34.728256	
24	बक्सर	5.42629	8	34.728256	
25	रोहतास	5.42629	8	34.728256	
26	कैमूर	5.42629	8	34.728256	
27	नालंदा	5.42629	12	52.092384	
28	गया	5.42629	8	34.728256	
29	जहानाबाद	5.42629	8	34.728256	
30	अरवल	5.42629	8	34.728256	
31	औरंगाबाद	5.42629	10	43.410320	
32	नवादा	5.42629	8	34.728256	
33	मुंगेर	5.42629	10	43.410320	
34	लखीसराय	5.42629	8	34.728256	
35	शेखपुरा	5.42629	10	43.410320	
36	जमुई	5.42629	11	47.751352	
37	भागलपुर	5.42629	12	52.092384	
38	बांका	5.42629	12	52.092384	
कुल :-			<b>355</b>	<b>1363.961432</b>	
			Say,	<b>1364.000000</b>	

2925  
30/06/25

  
 सरकार के अपर सचिव